भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3133
11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

एएवाई और पीएचएच

3133. श्री देवेश शाक्य:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) आदि सहित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत राशन कार्डधारकों की कुल संख्या कितनी है और विशेषकर बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, जौनपुर, एटा और कासगंज जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त जिलों में पहचाने गए फर्जी या अपात्र लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा संबंधित उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलरों और विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध शुरू की गई दंडात्मक या विभागीय कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त जिलों में निलंबित, रद्द या काली सूची में डाली गई उचित दर दुकानों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की निगरानी और निरीक्षण में संसद सदस्यों (एमपी), विधायकों (एमएलए) और ग्राम प्रधानों जैसे जन प्रतिनिधियों के लिए कोई औपचारिक भूमिका अनिवार्य की गई है;

(ड.) क्या ये जन प्रतिनिधि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएम) या किसी अन्य संबंधित तंत्र के माध्यम से पात्र लेकिन छूटे हुए परिवारों को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए सशक्त हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): बरेली, शाहजहाँपुर के बदायूं, जौनपुर, एटा और कासगंज जिलों में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत वर्तमान में पंजीकृत राशन कार्डधारकों की कुल संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

...2/-

देश में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत वर्तमान में पंजीकृत राशन कार्डधारकों की कुल संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ख) और (ग): उक्त जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान पहचाने गए फर्जी या अपात्र लाभार्थियों की कुल संख्या और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाइयों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक पीडीएस/टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेशों के प्रासंगिक खंडों के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-IV** पर रखा गया है।

(घ) से (च): एनएफएसए, 2013 की धारा 29 के अनुसार, राज्य सरकारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तंत्र स्थापित करना अनिवार्य है, जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा, अभिलेखों का सार्वजनिक प्रकटीकरण और सामुदायिक निगरानी शामिल है। इस संदर्भ में, ग्राम पंचायत और उनके प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधानों सहित) जैसे स्थानीय निकायों को लाभार्थी सूचियों के सत्यापन, सामाजिक लेखापरीक्षा और स्थानीय स्तर पर उचित दर दुकानों के पर्यवेक्षण जैसी निगरानी गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा, टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियां स्थापित करने का अधिदेश है ताकि पीडीएस के कामकाज की नियमित निगरानी की जा सके और खाद्यान्न वितरण का पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इन सतर्कता समितियों का उद्देश्य स्थानीय निकायों, जन प्रतिनिधियों और अन्य सामुदायिक हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल करना है ताकि उचित दर दुकानों और वितरण प्रणाली के कामकाज की देखरेख की जा सके।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3133 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

बरेली, शाहजहांपुर के बदायूं, जौनपुर, एटा और कासगंज जिलों में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत वर्तमान में पंजीकृत राशन कार्डधारकों का विवरण।

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	राशनकार्ड की संख्या		
			एएवाई	पीएचएच	कुल
1	उत्तर प्रदेश	बरेली	99,596	6,89,068	7,88,664
2	उत्तर प्रदेश	बदायूं	45,187	5,18,790	5,63,977
3	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	37,847	5,58,718	5,96,565
4	उत्तर प्रदेश	कासगंज	27,592	2,23,303	2,50,895
5	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	1,25,473	7,14,972	8,40,445
6	उत्तर प्रदेश	एटा	26,491	2,86,709	3,13,200

*****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3133 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

देश में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) के तहत वर्तमान में पंजीकृत राशन कार्डधारकों का विवरण।

क्र. सं.	राज्य का नाम	राशनकार्ड की संख्या		
		एएवाई	पीएचएच	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3,508	14,475	17,983
2	आंध्र प्रदेश	8,52,852	79,87,222	88,40,074
3	अरुणाचल प्रदेश	39,796	1,46,572	1,86,368
4	असम	6,68,788	64,08,554	70,77,342
5	बिहार	22,84,229	1,86,45,109	2,09,29,338
6	चंडीगढ़	280	83,284	83,564
7	छत्तीसगढ	7,19,969	49,48,839	56,68,808
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4,461	53,223	57,684
9	दिल्ली	65,535	16,57,746	17,23,281
10	गोवा	11,600	1,18,849	1,30,449
11	गुजरात	7,69,333	67,81,610	75,50,943
12	हरियाणा	2,88,299	36,99,161	39,87,460
13	हिमाचल प्रदेश	1,60,721	5,81,380	7,42,101
14	जम्मू और कश्मीर	2,21,490	14,37,260	16,58,750
15	झारखंड	8,79,739	51,36,867	60,16,606
16	कर्नाटक	10,47,980	98,49,413	1,08,97,393
17	केरल	5,95,502	37,11,188	43,06,690
18	लद्दाख	5,384	22,935	28,319
19	लक्षद्वीप	1,111	3,491	4,602
20	मध्य प्रदेश	13,66,416	1,18,79,427	1,32,45,843
21	महाराष्ट्र	24,74,457	1,43,40,347	1,68,14,804
22	मणिपुर	63,364	5,17,066	5,80,430
23	मेघालय	70,005	3,50,780	4,20,785
24	मिजोरम	25,080	1,56,352	1,81,432
25	नागालैंड	46,874	2,77,439	3,24,313
26	ओडिशा	12,30,974	85,69,613	98,00,587
27	पुदुचेरी	25,399	1,83,741	2,09,140
28	पंजाब	97,050	39,93,687	40,90,737
29	राजस्थान	5,91,991	1,02,93,148	1,08,85,139
30	सिक्किम	16,478	80,122	96,600
31	तमिलनाडु	18,99,691	98,21,167	1,17,20,858
32	तेलंगाना	5,69,966	50,74,804	56,44,770
33	त्रिपुरा	1,11,037	4,89,645	6,00,682
34	उत्तराखंड	1,82,614	11,98,345	13,80,959
35	उत्तर प्रदेश	40,84,262	3,23,60,221	3,64,44,483
36	पश्चिम बंगाल	16,05,925	1,20,93,115	1,36,99,040
	कुल	2,30,82,160	18,29,66,197	20,60,48,357

*****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3133 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान पहचाने गए फर्जी या अपात्र लाभार्थियों का विवरण और उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण।

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	सही लक्ष्यीकरण	
			चिह्नित लाभार्थी	राज्य सरकार द्वारा हटाए गए लाभार्थी
1	उत्तर प्रदेश	बरेली	1,27,725	55,498
2	उत्तर प्रदेश	बदायूं	96,349	36,116
3	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर	55,791	21,250
4	उत्तर प्रदेश	कासगंज	42,625	27,854
5	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	1,19,478	36,789
6	उत्तर प्रदेश	एटा	50,207	34,492

*****

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 11.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 3133 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध

जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक पीडीएस/टीपीडीएस (नियंत्रण) आदेशों की संबंधित धाराओं के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामों को दर्शाता विवरण।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	छापेमारी की संख्या	गिरफ्तार/ मुकदमा चलाए गए/ दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	निलंबित/रद्द उचित दर दुकान लाईसेंस/जारी किए गए कारण बताओ नोटिस/ दर्ज प्राथमिकियों की संख्या
उत्तर प्रदेश	2015	45376	*	1009	6665
	2016	62322	6961	887	6545
	2017	29804	3141	557	2461
	2018 (अप्रैल 18 – मार्च,19)	138302	*	3385	9419
	2019-20	150970	2343	1086	6404
	2020-21	153393	14329	1199	6506
	2021-22	116734	11207	573	5026
	2022-23	108662	10312	716	4245
	2023	28237	2684	122	820
	2024	*	*	*	*
	2025	*	*	*	*

*राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई

*****